

बिहार सरकार,  
कृषि विभाग।

पत्र संख्या-4/कृ०शि०को०-44/2017-

1509

/कृ०, पटना, दिनांक 23/03/2018

प्रेषक,

सुधीर कुमार,  
प्रधान सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार बिहार,  
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।  
द्वारा (+) वित्त विभाग, बिहार, पटना।

) अनौपचारिक रूप  
से परामर्शित।

विषय : बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर के कृषि अनुसंधान संबंधी परिसम्पत्तियों के लिए कुल 1058.00 लाख (दस करोड़ अठान्न लाख) रुपये सहायक अनुदान की स्वीकृति।

आदेश : स्वीकृत।

निदेशानुसार राज्य सरकार द्वारा बिहार कृषि विश्वविद्यालय के अधीन अनुसंधान कार्यों के लिए अत्याधुनिक उपकरणों की आवश्यकता है। तदनुसार विश्वविद्यालय के प्रयोगशाला में निम्न यंत्र अधिष्ठापित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है,

(राशि लाख रु० में)

Equipment	Estd cost
X ray Diffractro meter	100.00
Ultra Presure Liquid Chromatography	80.00
UV-VIS-NIR Spectrophotometer	60.00
Research Trinocular Microscope with photo micrographic attachment	50.00
ICP-MS	150.00
Nitrogen auto analyser (2unit)	15.00
Ultra-Water purification system (milli pore)	10.00
Microprocessor controlled Flame photometer (3 unit)	3.00
GC-MS	100.00
Near Infrared Fourier Transform Spectrometer	50.00
Low Volume Concentrator	15.00
LCMS / MS	100.00
Fluorescent Microscope	20.00
Ion chromatography	75.00
Auto analyser (A to Z) along with standard protocol for various analysis	80.00
SNP (Single Nucleotide Polymorphism) Multi mode reader	25.00
2 Dimensional Electrophoresis unit	20.00
Ultracentrifuge	30.00
Reverse Phase High performance Liquid Chromatography (HPLC)	20.00
Electroporator	5.00
Luminometer	5.00
Western Transfer Unit	5.00
Tissue Lyser system	10.00
Compost yard and land for raw material, insulated pasteurization tunnel, casing pasteurization chamber and spawning room	20.00
Associated instrumental including centrifugal blower, boiler, ducting, insulated doors, Hepa filters, Thermometers and other miscellaneous items.	10.00
Total	1058.00

2. उपकरणों का क्रय बिहार कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा किया जायेगा। क्रय प्रक्रिया में बिहार वित्तीय नियमावली एवं विश्वविद्यालय अधिनियम/परिनियम का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उक्त योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 में निम्न के अधीन विकलनीय होगा,

(राशि लाख रु० में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	पूर्व में स्वीकृत राशि	वर्तमान में स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, उपमुख्य शीर्ष-01- फसल कृषि-कर्म, लघु शीर्ष-277-शिक्षा, मांग संख्या-1, उपशीर्ष-0108-बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर, विपत्र कोड-01-2415012770108, विषय शीर्ष-0108.31.05 सहायक अनुदान- परिसंपत्तियों का निर्माण।	8494.27454	5318.49	878.14
मुख्य शीर्ष 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, उपमुख्य शीर्ष-01-फसल कृषि-कर्म, लघु शीर्ष- 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या-1, उपशीर्ष-0103-बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर, विपत्र कोड-01-2415017890103, विषय शीर्ष-0103.31.05 सहायक अनुदान- परिसंपत्तियों का निर्माण।	1637.52208	960.00	169.28
मुख्य शीर्ष 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, उपमुख्य शीर्ष-01-फसल कृषि-कर्म, लघु शीर्ष-796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना, मांग संख्या-1, उपशीर्ष-0104-बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर, विपत्र कोड-01-2415017960104, विषय शीर्ष-0104.31.05, सहायक अनुदान- परिसंपत्तियों का निर्माण।	102.34138	60.00	10.58
कुल	10234.13800	6338.49	1058.00

4. स्वीकृत राशि 1058 लाख रुपये की निकासी मुख्य लेखा पदाधिकारी, कृषि विभाग, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से करेंगे एवं बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को उपलब्ध करायेंगे। विमुक्त राशि के विरुद्ध यदि कोई ब्याज आहरित होता है तो इसका उपयोग उन्हीं कार्यों के लिए किया जायेगा जो राज्य सरकार से स्वीकृत हैं।

5. अनुदान के रूप में स्वीकृत राशि की निकासी बी०टी०सी०-42 पर की जायेगी जिसके साथ बिहार कृषि विश्वविद्यालय से पूर्व प्राप्त रसीद संलग्न की जायेगी। विपत्र में योजना का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा। विश्वविद्यालय द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र कृषि विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी एवं इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार के कार्यालय को भेजी जायेगी। साथ ही बिहार वित्तीय नियमावली के अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता होगी। कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा उक्त योजना का अलग से लेखा संधारण सुनिश्चित किया जायेगा। महालेखाकार, बिहार को अंकेक्षण का अधिकार होगा।

6. वित्त विभाग द्वारा निर्गत पत्रांक-2561 दिनांक 17.4.98 का अनुपालन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

7. विश्वविद्यालय स्वीकृत राशि की मदवार व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र, महालेखाकार, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा एवं इसकी प्रतिलिपि कृषि विभाग को भी उपलब्ध करायेगा।

8. महालेखाकार, बिहार, पटना को उक्त स्वीकृत राशि के व्यय का अंकेक्षण का अधिकार रहेगा। विश्वविद्यालय व्यय से संबंधित लेखा पंजी का संधारण करेगा तथा विहित अंकेक्षण दल को यथा समय उनके निरीक्षण हेतु उपलब्ध करायेगा।

9. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में मंत्री, कृषि की स्वीकृति दिनांक 19.03.2018 को संचिका संख्या-4/कृ०शि०को०-44/2017 के पृ०सं०-7/टि. पर प्राप्त है।

10. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 4/कृ०शि०को०-44/2017 के पृ०सं०-9/टि. पर दिनांक-23.03.2018 को प्राप्त है।

11. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,  
23.3.2018

(सुधीर कुमार)

प्रधान सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

1509

/कृ०, पटना, दिनांक 23/03/2018

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/उप महालेखाकार (लेखा)/महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.3.2018  
प्रधान सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

1509

/कृ०, पटना, दिनांक 23/03/2018

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.3.2018  
प्रधान सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

1509

/कृ०, पटना, दिनांक 23/03/2018

प्रतिलिपि : कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/मुख्य लेखा पदाधिकारी, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.3.2018  
प्रधान सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

1509

/कृ०, पटना, दिनांक 23/03/2018

प्रतिलिपि:- उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/निदेशक, पी.पी.एम. (कृषि विभाग) बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम० (कृषि विभाग), बिहार, पटना/बजट प्रभारी, कृषि विभाग/वित्त विभाग(बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं उप कृषि निदेशक (सूचना) को विभाग के वेबसाइट पर उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

23.3.2018  
प्रधान सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।